

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 866 दिनांक:- 27/7/19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- कोडरमा जिलान्तर्गत ध्वजधारी पहाड़ के समीप Nature & wildlife Awareness Centre एवं ध्वजाधारी मंदिर पथ पर Railing निर्माण हेतु कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्राधीन 0.267 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव FP/JH/Others/26990/2017 के संबंध में।

- प्रसंग :- 1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी झारखण्ड, राँची के पत्रांक 762 दिनांक 02.05.2019
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1275 दिनांक 03.07.2019

महाशय,

प्रांसगिक पत्र 01 द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/Others/26990/2017 ध्वजधारी पहाड़ के समीप Nature & wildlife Awareness Centre एवं ध्वजाधारी मंदिर पथ पर Railing निर्माण हेतु कुल 0.267 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जाँच के क्रम में कतिपय कमियां पाई गई थी अतः इस कार्यालय के पत्रांक 681 दिनांक 19.06.2019 द्वारा निराकरण हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था। तदोपान्त मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1275 दिनांक 03.07.2019 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त है। (दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न) मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी झारखण्ड, राँची के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. हजारीबाग वन्यप्राणी वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे० में	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा हे० में	कुल रकबा हे० में	वनस्पति घनत्व
1	हजारीबाग वन्यप्राणी वन प्रमंडल	0.267	शून्य	0.267	0.3

2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबा निम्नवत् है :-

जिला का नाम- कोडरमा

क्र०	मौजा का नाम	धाना का नाम/ संख्या	खाता संख्या	प्लॉट/ सर्वे नम्बर	प्रभावित प्लॉट	वन भूमि		क्षेत्रफल (एकड़)	योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कैफियत
						अधिसूचित वन भूमि (एकड़)	जंगल झाड़ी (एकड़)				
				61	61	पहाड़ (125.45 एकड़)	पहाड़ (125.45 एकड़)		0.067 हेक्टे० (रिलिंग)	0.067 हेक्टे० (रिलिंग)	बकडजे प्रोटेक्ट फॉरेस्ट
1	कोडरमा	333	235	76	76	जंगल शाखु (43.70 एकड़)	जंगल शाखु (43.70 एकड़)	169.75 एकड़	0.200 हेक्टे०	0.200 हेक्टे०	बकडजे प्रोटेक्ट फॉरेस्ट
कुल:-						169.75 एकड़	169.75 एकड़	169.75 एकड़	0.267 हेक्टे०	0.267 हेक्टे०	169.75 एकड़

3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है।
4. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन्यप्राणी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी झारखण्ड, राँची का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन्यप्राणी वन प्रमंडल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।
5. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
6. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर मंदिर पथ पर Railing निर्माण का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है।
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का KML File, GPS Map CD के साथ संलग्न है।
9. वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन्यप्राणी वन प्रमंडल के पार्ट-II में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 07 है, वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, कोडरमा का पत्रांक 154 A/ WEL दिनांक 07.05.2018 द्वारा 0.267 के विरुद्ध 0.534 हे० हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त है। साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
12. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 0.267 हे० के बदले 0.267 हे० गैर वनभूमि का चयन कोडरमा जिला में किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम	थाना/ थाना नं०	प्लॉट सं०	चयनित गैर वनभूमि का रकबा
1	कोडरमा	मेघातरी	कोडरमा/344	473/497	0.267
कुल :-					0.267

- प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।
13. प्रस्तावित वनभूमि कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी में अवस्थित है। इस संबंध में सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन्यप्राणी वन प्रमंडल ने अपने Part-II के कंडिका 16 (Recommendation Section) में यह उद्धृत किया है कि उक्त प्रस्ताव का Standing Committee of National Board for Wildlife के 51वीं बैठक में सशर्त अनुसंशा की गई है।
 14. वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन्यप्राणी वन प्रमंडल ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।
 15. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुसंशा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 0.267 हे० वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

Handwritten signature
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Handwritten signature
27.7.19

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*CONSTRUCTION OF RAILING NATURE AND WILDLIFE
AWARENESS CENTRE 0.267 ha.*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

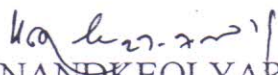
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 0.267 ha. Forest land.

Date :- 27.07.2019

Place :- Ranchi.

Signature


(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer
Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)